

2020/00276

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
47/20	212 RTI	बारां	बारां
वादी A047/2020	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मुन्नाशाह	बनाम	राज0 सरकार	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
28/12/20	अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.01.2021 को पेश हो। <i>[Signature]</i>	
27/01/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 3 व 4 की कोर से भी अपील की वास्तव एडवो. की कबालत नामा पेश हुआ जो... शांति कि... अपर जावे हेतु सम्प-बाही है वास्ते जावे पत्रावली दिनांक 23/2/21 को पेश हो। <i>[Signature]</i>	
23/02/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील कपाथी की कोर से ब्रीफ पेश हुआ। जवाब पेश नही हो सका। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 24/3/21 को पेश हो। <i>[Signature]</i> श्यामम.	
24/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। जवाब पेश नही हुआ। सम्प-बाही है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 24/4/21 को पेश हो। <i>[Signature]</i>	
27/4/21	कोरोना संक्रमण कार्यवाही के अन्तर्गत में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक... 21/6/20... को पेश हो। <i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	



कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

3-11-23

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 5.1.24 को पेश हो।

14

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

5.1.24

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28.2.24 को पेश हो।

14

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

28.2.24

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16.4.24 को पेश हो।

14

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

16.4.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28.5.24 को पेश हो।

लोअर हाथ
पुनः-24

14

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

28⁵/24

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2.7.24 को पेश हो।

14

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

27.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी उपस्थित नहीं। न्यायालय के रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई गई। न्यायालय विस्तारित होने बंद इंतजार किया गया कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण ऊपर दायरी ऊपर देरकी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फेराल शुमार होकर वाद तामिल तामिल के तामिल स्वर हो।

14